न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–पुष्पा सत्यानी, आर.ए.एस.

<u>अपील संख्या 66/20</u> **निर्णय दिनांकः–** 5-2-21
(जीसीएमएस संख्या 2020/00099)

1. माणकचन्द पुत्र भंवरलाल जाति माली निवासी श्रीरामसर तहसील व जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 18–05–1993
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

<u>उपस्थितिः–</u>

1. श्री प्रभूसिंह भाटी, अभिभाषक अपीलांट्

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 18–05–1993 जिसके द्वारा अपीलांट का आवंटन किश्तों के अभाव में खारिज किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को तहसील पूगल के चक 1 एसएमडी के मुरब्बा नम्बर 62/51 के किला नम्बर 1 ता [illegible] व 1[illegible] ता 18 व 23 ता 25 तादादी 19 बीघा एवं मुरब्बा नम्बर 62/50 के [illegible] नम्बर 1 ता 25 में तादादी 24

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.03.25 13:45:37 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

बीघा 10 बिस्वा भूमि इसप्रकार कुल 43 बीघा 10 बिस्वा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया था। आवंटन पश्चात् अपीलांट द्वारा तमाम किश्तें जमा करवा दी गई तथा अपीलांट को आवंटन पश्चात् वादगत् भूमि का कब्जा भी प्रदान कर दिया गया था व अपीलांट के नाम से वादग्रस्त भूमि का नामान्तरकरण संख्या 25 भी राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया गया। उक्त स्थिति पत्रावली पर उपलब्ध होने के बावजूद भी अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन किश्तों के अभाव में खारिज कर दिया गया। इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

उन्होनें आगे बताया कि विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व उसे सुनवाई का व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाना अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो वह आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत आदेश होने के कारण निरस्त योग्य आदेश है। अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश रिकार्ड का अवलोकन किये बिना पत्र कमांक 2362 दिनांक 18–05–1993 के आधार पर खारिज किया गया है। अदालत मातहत द्वारा अपने स्तर पर कोई नोटिस व सूचना अपीलांट को नहीं दी गई है। अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि की सम्पूर्ण किश्तें जमा करवाने के उपरान्त भी अपीलांट का आवंटन किश्तों के अभाव में खारिज किया गया है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.03.15 13:55:37 IST
Reason: Self Attested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

5. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 18—05—1993 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 18—03—2020 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। आवंटन अधिकारी द्वारा अपीलांट का आवंटन किश्तों के अभाव में बिना नोटिस अथवा सूचना दिये खारिज किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, आवंटन अधिकारी द्वारा वादग्रस्त भूमि चक 5 एसएमडी के मुरब्बा नम्बर 62/51 के किला नम्बर 1 ता 9, 12 ता 18 व 23 ता 25 तादादी 19 बीघा एवं मुरब्बा नम्बर 62/59 के किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 24 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आवंटन अपीलांट के पक्ष किया गया। तत्पश्चात् सेल रजिस्टर में ''एसीसी आदेशांक 2362 दिनांक 18—05—1993 द्वारा किश्तों के अभाव में खारिज'' का नोट लगाया। उक्त खारिजी आदेश अस्पष्ट है। जब अपीलांट के पक्ष में हुए विधिवत आवंटन के आधार पर राजस्व रिकार्ड में अपीलांट का नाम जरिये नामान्तरणकरण संख्या 25 के माध्यम से दर्ज किया जा चुका था। ऐसी स्थिति में मनमाने पूर्ण तरीके से एक लाईन के आदेश से आवंटन खारिज करना अविवेकपूर्ण कार्यवाही है। उक्त कार्यवाही से पूर्व अपीलांट/आवंटी को सुनवाई का मौका नहीं दिया गया तथा उसकी पीठ पीछे आदेश पारित कर दिया गया तथा उक्त आदेश की सूचना भी आवंटी को नहीं दी गई। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश पुष्टि योग्य की श्रेणी में नहीं आता है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2074—2077 के अनुसार वादग्रस्त भूमि चक 5 एसएमडी के मुरब्बा नम्बर 62/59 के किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 24 बीघा 10 बिस्वा भूमि आज दिनांक तक आराजीराज दर्ज रिकार्ड है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.03.15 13:55:37 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

6. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की सहायक आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 18–05–1993 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ उपखण्ड अधिकारी, पूगल को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को आवंटित चक 5 एसएमडी के मुरब्बा नम्बर 62/51 के किला नम्बर 1 ता 9, 12 ता 18 व 23 ता 25 तादादी 19 बीघा एवं मुरब्बा नम्बर 62/59 के किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 24 बीघा 10 बिस्वा भूमि के बाबत् बाबत् बकाया राशि जमा करवाकर आवंटन बहाल किया जावे

7. निर्णय आज दिनांक 5-2-21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(पुष्पा सत्यानी)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.03.15 13:55:37 IST
Reason: SelfAttested